

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री राकेश कुमार, आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 16/2019 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)
दायर दिनांक 22.05.2019
निर्णय दिनांक 18.10.2019

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री रमेश चन्द सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री हिम्मतदास बैरागी पुत्र श्री हनुमानदास बैरागी उम्र 35 वर्ष, (विक्रेता)
मैसर्स श्री बालाजी किराणा, बस स्टैण्ड, तहसील रोड नाथद्वारा,
जिला राजसमन्द
2. श्री दुर्गादास वैष्णव पुत्र श्री हनुमानदास वैष्णव (विक्रेता फर्म मालिक)
मैसर्स श्री बालाजी किराणा, बस स्टैण्ड, तहसील रोड नाथद्वारा,
जिला राजसमन्द
3. श्री राजीव बेलानी पुत्र श्री चेतन आनन्द बेलानी उम्र 38 वर्ष (डिस्ट्रीब्युटर)
मैसर्स अतुल ट्रेडिंग कम्पनी, सी 141, प्रतापनगर, उदयपुर, राज।
4. मैसर्स अतुल ट्रेडिंग कम्पनी, सी 141, प्रतापनगर, उदयपुर, (डिस्ट्रीब्युटर फर्म)
5. श्री जगदीश रामचंदानी, उम्र 36 वर्ष, (निर्माता मालिक)
मैसर्स मैसर्स गुरुदेव भुजिया उद्योग, जी 130ए, आई.आई.डी, सेन्टर, रिको
इण्ड एरिया, कलडवास, उदयपुर, राज।
6. मैसर्स मैसर्स गुरुदेव भुजिया उद्योग, जी 130ए, आई.आई.डी, सेन्टर,
रिको इण्ड एरिया, कलडवास, उदयपुर, राज। (निर्माता फर्म)

— विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (ग) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

० निर्णय ०

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में
प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए / नोटिफिकेशन
/ 2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण में श्री रमेश चन्द सैनी, खाद्य
सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षीगण पर मिस ब्राण्ड खाद्य
सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी
1. श्री हिम्मतदास बैरागी पुत्र श्री हनुमानदास बैरागी उम्र 35 वर्ष, (विक्रेता)



मैसर्स श्री बालाजी किराणा, बस स्टैण्ड, तहसील रोड नाथद्वारा, जिला राजसमन्द 2. श्री दुर्गादास वैष्णव पुत्र श्री हनुमानदास वैष्णव (विक्रेता फर्म मालिक) मैसर्स श्री बालाजी किराणा, बस स्टैण्ड, तहसील रोड नाथद्वारा, जिला राजसमन्द 3. श्री राजीव बेलानी पुत्र श्री चेतन आनन्द बेलानी उम्र 38 वर्ष (डिस्ट्रीब्यूटर) मैसर्स अतुल ट्रेडिंग कम्पनी, सी 141, प्रतापनगर, उदयपुर,राज 4. मैसर्स अतुल ट्रेडिंग कम्पनी, सी 141, प्रतापनगर, उदयपुर,(डिस्ट्रीब्यूटर फर्म) 5. श्री जगदीश रामचंदानी, उम्र 36 वर्ष, (निर्माता मालिक) मैसर्स गुरुदेव भुजिया उद्योग, जी 130ए, आई.आई.डी, सेन्टर, रिको इण्ड एरिया, कलडवास, उदयपुर, राज 6. मैसर्स गुरुदेव भुजिया उद्योग, जी 130ए, आई.आई.डी, सेन्टर, रिको इण्ड एरिया, कलडवास, उदयपुर, राज। (निर्माता फर्म) जो की नमकीन पैकड (अमुल ब्राण्ड) के सामान बेचने का कार्य करता है। इनकी दूकान मैसर्स श्री बालाजी किराणा, बस स्टैण्ड, तहसील रोड नाथद्वारा, जिला राजसमन्द पर दिनांक 04.09.2018 को समय 04.00 पी0एम0 पर वास्ते चेकिंग पहुंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया। वक्त निरीक्षण उक्त फर्म पर नमकीन पैकड (अमुल ब्राण्ड) के पास 20 से 25 किलोग्राम 500-500 ग्राम पालीपैकड में आम जनता को विक्री हेतु रखी हुई थी। इसमें मिलावट का शक होने पर 500-500 ग्राम के 4 पैकड पैकेट्स वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 240/- रूपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ नमकीन पैकड (अमुल ब्राण्ड) के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा नमकीन पैकड (अमुल ब्राण्ड) पैकेट्स को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग-2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई - 807 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अंकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।



खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक मुचिअ./एफएसएसए/2018/2705 दिनांक 03.10.2018 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस / 303/एक्ट/2018/323 दिनांक 13.09.2018 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना नमकीन पैकड (अमुल ब्राण्ड) मिस ब्राण्ड होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने दिनांक 09.05.2019 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार हैं, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर परोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षीगण का नमकीन पैकड (अमुल ब्राण्ड) मिस ब्राण्ड होना पाया गया। अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006, नियम-2011 की धारा 26 (II) के अन्तर्गत उक्त केस में मिस ब्राण्ड नमकीन पैकड (अमुल ब्राण्ड) को विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से विपक्षी संख्या 1. व 2. श्री हिम्मतदास व दुर्गादास वैष्णव पुत्र श्री हनुमानदास वैष्णव, मैसर्स श्री बालाजी किराणा, बस स्टैण्ड, तहसील रोड नाथद्वारा, जिला राजसमन्द को राशि 5,000/- (अक्षरे रूपये पांच हजार) विपक्षी संख्या 3. व 4 श्री राजीव बेलानी पुत्र श्री चेतन आनन्द बेलानी, मैसर्स अतुल ट्रेडिंग कम्पनी, सी 141, प्रतापनगर, उदयपुर, राज को राशि 5,000/- (अक्षरे रूपये पांच हजार) एवं विपक्षी संख्या 5. व 6 श्री जगदीश रामचंदानी, मैसर्स गुरुदेव भुजिया उद्योग, जी 130ए, आई.आई.डी, सेन्टर, रिको इण्ड एरिया, कलडवास, उदयपुर, राज0 को राशि 5,000/- (अक्षरे रूपये पांच हजार) कुल राशि 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(राकेश कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द